

(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 03/2021 (2021/11)

बाजदायर दिनांक 12.01.2021

वाद- अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए आर.टी.ए.

संशोधित शीर्षक

1. भैरूलाल पुत्र श्री मोहन धोबी
2. बंशीलाल पुत्र श्री मोहन धोबी
3. श्रीमति मांगीबाई बेवा श्री मोहन धोबी (मृतक नाम तर्क)
4. गोदावरी बेवा छोगा धोबी
5. रतनलाल पुत्र छोगा धोबी
6. श्रीमति सुखी पुत्री छोगा धोबी
7. श्रीमति प्रेम पुत्री छोगा धोबी

समस्त निवासी ग्राम ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

1. अब्दुल सलाम पुत्र श्री अब्दुल रसीद कुरेशी मुसलमान निवासी जैतारण जिला पाली हाल निवासी ग्राम गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. अब्दुल रसीद पुत्र श्री अहमद अली जाति कुरेशी मुसलमान निवासी जैतारण जिला पाली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति- अधिवक्ता वादीगण:-श्री सुनिल बापना

अधिवक्ता प्रतिवादीगण:- श्री विकास शर्मा


डिक्री दिनांक 12.01.2021

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल बापना एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री विकास शर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 12.01.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ---x--- और इस वाद के खर्च लेखे -----x----- रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर -----x----- प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित -----x----- द्वारा -----x----- को दी जाए।





सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (सहा)

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए आर.टी.ए. का राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 1520 रकबा 0.25 हे०, 1522 रकबा 0.63 हे०, 1524 रकबा 0.69 हे०, 1525 रकबा 0.57 हे०, 1526 रकबा 0.03 हे०, 1527 रकबा 0.33 हे०, 1528 रकबा 0.50 हे०, 1529 रकबा 0.10 हे०, 1530 रकबा 0.50 हे०, 1532 रकबा 3.17 हे०, 1531 रकबा 0.01 हे० भूमि स्थित है उक्त वर्णित आराजियात में सेवन से वर्तमान खाते में नानूड़ी बेवा नाथू लौहार का नाम 1/30 हिस्से से दर्ज हो गया जिसे हटाया जाकर आराजी संख्या 1520 रकबा 0.25 हे० को छोड़ते हुए शेष आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 2/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त वर्णित आराजियात में से वादीगण को आराजी संख्या 1520 सम्पूर्ण का एवं शेष आराजियात में 28/30 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा को भी हटाया जाता है। एवं राजीनामा को इस डिक्री का पार्ट माना जावे। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेंगे।

  
सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
गंगापूर भीलवाड़ा (राज०)

डिक्री आज दिनांक 12.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।



  
सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
गंगापूर भीलवाड़ा (राज०)